न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **77/2025** दायर दिनाँक **27.02.2025**

वादी		**प्रतिवादी**
1. अरूण कुमार मोर पुत्र दामोदर लाल मोर जाति महाजन निवासी बेरी कलां हाल निवासी हैदराबाद (तेलंगाना)	**बनाम्**	1. राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार मौलासर 2. विनोद कुमार पुत्र रामाकिशन 3. उदयकुमार पुत्र भरत कुमार समस्त जाति महाजन निवासीगण बेरी कलां हाल निवासी हैदराबाद (तेलंगाना)

राजस्व–वाद बाबत्

रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः–

1. श्री विश्वप्रताप सिंह वकील वादी।
2. श्री नेमीचंद शर्मा वकील प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 ।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **19.08.2025**

राजस्व वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बेरी कलां तहसील मौलासर में खेत खसरा संख्या 1064/858 रकबा 0.0440 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता, खसरा संख्या 1065/860 रकबा 0.0450 हैक्टेयर गै. मु. रास्ता, खसरा संख्या 851 रकबा 0.9400 हैक्टेयर बारानी 1, खसरा संख्या 852 रकबा 0.1200 हैक्टेयर बारानी 1, खसरा संख्या 854 रकबा 0.0400 हैक्टेयर बारानी 1, खसरा संख्या 856 रकबा 0.0200 हैक्टेयर बारानी 1, खसरा संख्या 858 रकबा 0.8860 हैक्टेयर बारानी 1, खसरा संख्या 859 रकबा 0.0100 हैक्टेयर गै. मु. बोरिंग, खसरा संख्या 860 रकबा 0.8850 हैक्टेयर बारानी 1 भूमि वादी की संयुक्त खातेदारी तथा हक अधिकार व कब्जा काश्त में अवस्थित है। उक्त विवादग्रस्त भूमि में राजस्व कर्मचारियों की भूल/सहवन से वादी का नाम श्रवण कुमार पुत्र दामोदरलाल दर्ज हो रखा है, जबकि वादी के नाम से जारी समस्त सरकारी व अर्द्ध सरकारी दस्तावेजों मे अरूण कुमार मोर पुत्र दामोदर लाल मोर वर्णित है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 द्वारा पुराना खसरा संख्या 513/443 रकबा 18 बीघा 09 बिस्वा में से 04 बीघा 12 बिस्वा विक्रेता सतीश कुमार पुत्र सत्यनारायण से दिनांक 07.09.2010 को खरीद की, जिसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 1279 दिनांक 06.10. 2015 को भरा गया, जिसमें वादी का नाम अरूण कुमार मोर भरा गया, जो कि सही है। वादी का नाम उसके हक अधिकार व कब्जा काश्त की भूमि में श्रवण कुमार पुत्र दामोदर लाल गलत दर्ज होने के कारण वादी को अत्यधिक असुविधा व परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए वादी को यह वादी बाबत रेकर्ड दुरूस्ती का करना लाजमी आया है।

वादी की प्रार्थना इस प्रकार हैः–

राजस्व ग्राम बेरी कलां तहसील मौलासर में खेत खसरा संख्या 1064/858 रकबा 0.0440 हैक्टेयर [illegible] 860 रकबा 0.0450 हैक्टेयर गै. मु. रास्ता, खसरा संख[illegible] 0.9400 हैक्टेयर बारानी 1, खसरा संख्या 852 रकबा 0.1200 [illegible] 1, खसरा संख्या 854 रकबा 0.0400 [illegible] 856 रकबा 0.0200 हैक्टेयर बारानी 1, खसरा [illegible] हैक्टेयर बारानी 1, खसरा संख्या 859 रकबा 0.0100 हैक्टेयर गै. मु. बोरिंग, खसरा संख्या 860 रकबा 0.8850 हैक्टेयर बारानी 1 भूमि में जहां श्रवण कुमार पुत्र दामोदरलाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:20:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

अंकित है, वहां अरूण कुमार मोर पुत्र दामोदर लाल मोर नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 की ओर से वकील श्री नेमीचंद शर्मा ने इकबालिया जवाब पेश किया तथा तहसीलदार मौलासर के पत्र क्रमांक/राजस्व/2025/913 दिनांक 18.07.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार मौलासर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उक्त विवादग्रस्त भूमि में वादी श्रवणकुमार पुत्र दामोदरलाल सहखातेदार दर्ज है, जबकि अन्य दस्तावेजों में अरूणकुमार पुत्र दामोदर लाल मोर है तथा सरपंच एवं ग्राम पंचायत डाबड़ा के प्रमाण पत्र अनुसार अरूण कुमार मोर और श्रवणकुमार दोनों एक ही व्यक्ति है तथा सही नाम अरूण कुमार पुत्र दामोदरलाल है। है। वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में विक्रय पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें वादी का नाम अरूण कुमार मोर पुत्र रामकिशन मोर जाति महाजन निवासी अग्रवाल चैम्बर्स किंग कोठी हैदराबास दर्ज है।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया सरहद बेरी कलां के खेत खसरा संख्या 1064/858, 1065/860, 851, 852, 854, 856, 858, 859 तथा 860 में वादी अपना नाम श्रवण कुमार पुत्र दामोदर लाल के स्थान पर अरूण कुमार मोर पुत्र दामोदर लाल मोर दर्ज करवाने की इस्तदूआ कर रहा है। तहसीलदार मौलासर की रिपोर्ट के अनुसार वादी का सही नाम अरूण कुमार मोर पुत्र दामोदर लाल मोर होने के कारण वादी के सही अंकन होने के कथन को स्वीकार किया जा सकता है। अतः बाद विवेचन, वादी का हस्तगत वाद स्वीकार किया जाता है।

—:: आदेश ::—

सरहद बेरी कलां तहसील मौलासर में खेत खसरा संख्या 1064/858 रकबा 0.0440 हैक्टेयर गै.मु. रास्ता, खसरा संख्या 1065/860 रकबा 0.0450 हैक्टेयर गै. मु. रास्ता, खसरा संख्या 851 रकबा 0.9400 हैक्टेयर बारानी 1, खसरा संख्या 852 रकबा 0.1200 हैक्टेयर बारानी 1, खसरा संख्या 854 रकबा 0.0400 हैक्टेयर बारानी 1, खसरा संख्या 856 रकबा 0.0200 हैक्टेयर बारानी 1, खसरा संख्या 858 रकबा 0.8860 हैक्टेयर बारानी 1, खसरा संख्या 859 रकबा 0.0100 हैक्टेयर गै. मु. बोरिंग, खसरा संख्या 860 रकबा 0.8850 हैक्टेयर बारानी 1 भूमि में वादी का नाम श्रवण कुमार पुत्र दामोदर लाल के स्थान पर अरूण कुमार मोर पुत्र दामोदर लाल मोर दुरूस्ती बाबत वादी का हस्तगत वाद स्वीकार किया जाता है।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:20:26 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनाँक 19.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना